राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में,
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
17 वां तल, जवाहर व्यापार भवन (एस. टी. सी. बिल्डिंग),
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001

फा. सं. ए -110018/01/2021-सी. ए.क्यू .एम./1694-1709 - दिनांक:02.12.2021

विषय: दिल्ली – एनसीआर में विद्यमान वायु गुणवत्ता के परिदृश्य में वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग अधिनियम की धारा 12 के तहत निर्देश ।

जबकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम की धारा 03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया है (एतद पश्चात आयोग के रूप में संदर्भित) ।

जबकि, अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत आयोग को शक्तियां दी गयी है कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के संरक्षण एवं सुधर के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करें निर्देश आदि जारी करें, जैसे कि वह आवश्यक था उचित समझे

जबकि, अधिनियम की धारा 12(2) (XI) आयोग को शक्ति प्रदान करती है कि आयोग किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को निर्देश जारी करे और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगें

जबकि, आयोग विशेष रूप से दर्शाता रूप से दर्शाता रहा है कि क्षेत्र में अन्य कारणों के साथ - साथ औद्योगिक प्रदूषण और वाहन प्रदूषण वायु गुणवत्ता की स्थिति में गिरावट के लिए बड़ा योगदान देता है

जबकि, एन. सी. आर. में वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में आयोग हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और केंद्र /राज्य सरकारों / जी . एन. सी . टी.डी. के विभिन्न सम्बंधित संगठनों के साथ बारम्बार मामला उठता रहा है और वायु प्रदुषण को रोकने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश , एडवाइजरी जारी करके अपने निर्णयों से सूचित कराया है

जबकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के याचिका (सिविल) सं. 1135 /2020 “आदित्य दुबे बनाम भारतीय संघ एवं अन्य” के दिनांक 15. 11. 2021 के निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक का आयोजन दिनांक 16 .11.2021 को 10.00 बजे किया गया जिसमें चिन्हित क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए विचार किया गया

जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 (2) (xi) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने एन. सी. टी. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों के मुख्य सचिवों को दिनांक 16. 11. 2021 की निर्देश सं. 44 जारी के गयी जिसमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे औद्योगिक प्रदूषण, ताप विद्युत् संयंत्र, वाहन प्रदूषण, धूल नियंत्रण आदि पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया

जबकि, उपरोक्त निर्देशों के प्रोत्साहन में आयोग ने विभिन्न आदेश/निर्देश दिनांक 25.11.2021, 26.11.2021, 27.11.2021 और 30.11.2021 को जारी किये

जबकि, पिछले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता "बहुत ख़राब" या "गंभीर" श्रेणी के ऊपरी सतह तक पहुंच रही है और बेहद आपात स्थिति में और पर्याप्त सावधानी के तौर पर वायु गुणवत्ता को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए आगे रोकथाम उपाय करने की अति आवश्यकता है □

अब, इसलिए उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एवं एन. सी. आर. में रास्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 (2) (xi)सह पठित धरा 12 (2) (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग आगे निर्देश देता है कि निम्नलिखित उपायों को सख्ती के साथ तुरंत प्रभाव से अगले आदेशों तक कार्यान्वित किया जाए : -

(i) औद्योगिक प्रदूषण से सम्बंधित दिनांक 16.11.2021 को जारी निर्देश संख्या 44 लागू रहेगा □
(ii) यह निर्देश दिया जाता है कि एन. सी. आर. में जो औद्योगिक संचालन और प्रक्रियायें पी. एन. जी. या स्वच्छ ईंधन पर नहीं चल रही हैं, उन्हें सोमवार से शुक्रवार तक केवल 08 घंटे एक दिन में काम करने की अनुमति दी जाएगी □
(iii) दिल्ली के 300 कि. मि. के रेडियस में ताप विद्युत् संयंत्र का ऑपरेशन आयोग के दिनांक 30.11.2021 के अद्यतन आदेश सं. ए.- 110018/01/2021- सी. सी.ए.क्यू.एम. के तहत विनियमित किया जाएगा□
(iv) एन. सी. आर. में सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बन्द रहेंगे और शिक्षा में ऑनलाइन मोड में अनुमति होगी, परीक्षाओं का आयोजन और प्रयोगशाला प्रयोगात्मक आदि इसके अपवाद हैं □
(v) दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश बन्द किया जाए, केवल सी. एन. जी. / विद्युत् पर चलने वाले ट्रकों को अनुमति है □
(vi) इन निर्देशों एवं और समय-समय पर आयोग द्वारा जारी किये गए निर्देशों का अनुपालन सम्बंधित एजेंसियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा और सम्बंधित राज्यों के मुख्य सचिव /जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा अनुपालन की निगरानी की जायेगी □

हस्ता०
(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य-सचिव
दूरभाष सं।. 011 -23701197
ईमेल : arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में

प्रतिलिपि :

1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार।

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, और आयोग के सभी सदस्य

हस्ता०
(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य-सचिव